SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की कोई भी लड़की/लड़का किशोर की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम में उन सभी बच्चों को एक विशेष कानून का दर्जा दिया गया है, जो या तो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे हैं।

इस अधिनियम के अनुसार, बच्चों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है; जैसे कि –

1) कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे

विधि विवादित 'किशोर' को *किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015* के तहत विधि विवादित 'बच्चे' के रूप में फिर से परिभाषित किया गया है। अपराधों को छोटे/गंभीर/जघन्य अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जघन्य अपराधों के मामलों में 16-18 वर्ष की आयु के बालक को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक आकलन करने के बाद वयस्क माना जा सकता है।

2) देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक

देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक (सी०एन०सी०पी०) वह है, जो -

- बेघर है
- जो उस समय लागू श्रम कानूनों का उल्लंघन कर, कार्य करता हुआ मिला हो, भीख मांगते हुए अथवा सड़कों पर रहते हुए मिला हो
- जो किसी व्यक्ति के साथ रह रहा है (चाहे वह बच्चे का अभिरक्षक है अथवा नहीं) और वह व्यक्ति –
    - बच्चे का शोषण करता, चोट पहुंचाता, गाली देता अथवा अनदेखी करता हो अथवा
    - उस समय प्रभावी किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता है अथवा
    - बच्चे को मारने, घायल करने, शोषण करने अथवा गाली गलौज करने की धमकी देता है अथवा
    - अन्य कुछ बच्चों अथवा बच्चे को मार डाला, उपेक्षित किया अथवा शोषण किया है और उस व्यक्ति की ओर से मारने, गाली देने अथवा शोषण करने की वैसी वजहे हैं, इस बच्चे के साथ, अथवा
- जो मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकृत है अथवा असाध्य या घातक बीमारी से ग्रहित है, जिसके बाद उसकी देखरेख या सहायता करने वाला कोई नहीं है अथवा

- जिसके माता-पिता अथवा संरक्षक हैं और वे माता-पिता या संरक्षक उसकी देखभाल करने में असमर्थ अथवा अक्षम पाए गए हैं अथवा
- जिसके माता-पिता नहीं हैं और उसकी देखभाल को कोई भी इच्छुक नहीं है, अथवा जिसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया है अथवा समर्पित कर दिया है, या
- जो लापता है अथवा जो बच्चा भाग गया है
- जो यौन दुष्कृत्य अथवा अवैध कृत्य के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल, उत्पीडित अथवा शोषित किया गया या फिर उसके साथ उस जैसा हुआ है, अथवा
- जो मादक पदार्थ के दुरुपयोग अथवा अवैध कारोबार में अति संवेदनशील मिला हो अथवा उसे धकेला गया हो, अथवा
- अनुचित लाभ के लिए जिसका दुरुपयोग किया गया या किए जाने की संभावना है, अथवा
- जो किसी सशस्त्र संघर्ष, उपद्रव अथवा प्राकृतिक आपदा का शिकार अथवा उससे प्रभावित हुआ है, अथवा
- विवाह योग्य आंयु के होने से पहले जिसका विवाह होने का जोखिम हो

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की गिरफ्तारी

1) जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तभी ऐसे बालक को विशेष पुलिस बल इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। सभी मामलों में, जहां बच्चे को पकड़ लिया जाता है, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। बालक को बिना देर किये, पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर (उस स्थान से, जहां से बालक की गिरफ्तारी हुई थी, यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़कर) बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

2) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को किसी भी स्थिति में पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा।

राज्य सरकार इस अधिनियम से उपयुक्त नियम बनायेगी

i) राज्य सरकार उन व्यक्तियों (जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) भी हैं) के लिए नियम बनायेगी, जिनके द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जा सकेगा।

ii) कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को किसी संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जा सके, इस हेतु राज्य सरकार नियम बनायेगी।

माता-पिता, अभिभावक या परिवीक्षा अधिकारी को जानकारी

1. जब कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को पकड़ा जाता है, और बालक को पकड़ने के बाद जब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में सौंपते हैं, तो वे तत्काल इन सबको सूचित करेंगे –

   i. बालक को पकड़ने के बाद जब ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक का पता चलता है, तो उन्हें सूचित किया जाएगा तथा अंडरटेकिंग (उपक्रम) पर उन्हें उनके माता-पिता/अभिभावक को सौंप दिया जाएगा और उन्हें उस बोर्ड के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगा तथा उस तिथि एवं समय की जांनकारी दी जाएगी, जब माता-पिता या संरक्षक को बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना है।

   ii. परिवीक्षा अधिकारी, या यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति की एक रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर तैयार की जाती है, जिसे सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी होती है, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है।

2. जहां एक बच्चे को जमानत पर रिहा किया जाता है, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को बोर्ड द्वारा सूचित किया जाएगा।

विधि का उल्लंघन करते पाये गए बालक के बारे में आदेश

जहां बोर्ड द्वारा जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बालक ने, आयु को विचार में लाये बिना कोई छोटा अपराध या घोर अपराध किया है, या सोलह वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, तो उस समय लागू किसी अन्य कानून में कोई प्रतिकूल बात के होते हुये भी और सामाजिक अन्वेषण में बताई गई परिस्थितियों को जानने के बाद भी, बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड निम्न निर्णय ले सकता है -

(1) बालक की समुचित जांच के पश्चात और ऐसे बालक, उसके माता-पिता या संरक्षक को परामर्श, उपदेश या भर्त्सना देने के पश्चात बोर्ड बालक को घर जाने का आदेश दे सकेगा।

(2) बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निदेश दे सकेगा।

(3) बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति, व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षण के अधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा।

(4) बालक या बालक के माता-पिता या संरक्षक को जुर्माना अदा करने का आदेश दे सकेगा, परंतु यदि बालक कार्यरत है, तो वह यह सुनिश्चित कर सकेगा कि उस समय लागू किसी श्रम विधि के उपबंधों का उल्लंघन न हुआ हो।

(5) बोर्ड बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देख-रेख में रखने का आदेश उन परिस्थितियों में दे सकेगा, जब ऐसे माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा बालक के सदाचरण और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षानुसार जमानत सहित या रहित तीन वर्ष की कालावधि के लिए, बंधनपत्र निष्पादित किया जाएगा।

(6) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचरण और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी सुविधा उपयुक्त तंत्र की देख-रेख और पर्यवेक्षण में रखने का आदेश तीन वर्ष तक की अवधि के लिए दे सकेगा।

(7) बोर्ड बालक को तीन वर्ष तक की अवधि के लिए विशेष गृह में भेजने का आदेश दे सकेगा, जहां उन्हें सुधारात्मक सेवाएँ प्रदान की जाएंगी, जिसके अंतर्गत शिक्षा, कौशल, विकास, परामर्श देना, आचरण में परिवर्तन, चिकित्सा, विशेष गृह में ठहरने की अवधि के दौरान मनोचिकित्सीय समर्थन देना आदि है।

परंतु यदि बालक का आचरण और व्यवहार ऐसा हो गया है, जो बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले अन्य बालकों के हित में न हो, तो बोर्ड ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा।

2. यदि उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (छ) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है, तो बोर्ड –

   i. विद्यालय में हाजिर होने;

   ii. किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में हाजिर होने;

   iii. किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने;

   iv. किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बार-बार जाने या हाजिर होने से
   v. व्यसनमुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने

का अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा।

3. जहां बोर्ड, धारा 15 के अधीन प्रारम्भिक निर्धारण करने के पश्चात, यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का, वयस्क के रूप में और अधिक विचारण करने की आवश्यकता है, वहाँ बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे बालक न्यायालय को अंतरिम करने का आदेश दे सकेगा, जो इस तरह के अपराधों के विचारण की अधिकारिता रखता है।

आदेश, जो कानून का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित न किया जा सकेगा

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना नहीं है, तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को इस अधिनियम के अधीन ऐसी स्थिति में मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड का आदेश नहीं दिया जाएगा।

विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक के बारे में उपबंध

1. यदि कोई बालक विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था की देखरेख से भाग गया है, जिसके अधीन उसे रखा गया है, तो कोई पुलिस अधिकारी उस बालक की ज़िम्मेदारी लेगा।

2. बालक को चौबीस घंटे के भीतर, उस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसने विधि विवादित उस बालक को आदेश दिया था अथवा उस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके निकटतम स्थान पर बालक पाया जाता है।

3. बोर्ड बालक के निकल भागने के कारण को जानेगा, उसकी मन:स्थिति को समझेगा और बालक को उस संस्था या व्यक्ति के पास वापस भेजेगा, जिसकी अभिरक्षा से बालक भाग निकला था अथवा बोर्ड के आदेश से वैसी ही किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के पास बालक को भेजा जाएगा।

   बोर्ड बालक के सर्वोत्तम हित के लिए आवश्यक किसी विशेष कदम के संबंध में अतिरिक्त निर्देश दे सकता है।

4. ऐसे बालक के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा	प्रावधान	दंड
धारा 74	i. किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार-पत्र, पत्रिका या समाचार-पृष्ठ या दृश्य-श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में की गई किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्ट को प्रकट नहीं किया जाएगा, जिससे कानून का उल्लंघन करने वाले बालक (सीसीएल) या देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक (सीएनसीपी) या किसी पीड़ित बालक या किसी अपराध के साक्षी की पहचान हो सकती है और न ही ऐसे किसी बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा। पहचान का खुलासा केवल बोर्ड या समिति की अनुमति से किया जा सकता है, अगर उनकी राय में इस तरह का खुलासा बच्चे के हित में है। ii. पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए या अन्यथा के लिए बालक के किसी अभिलेख का, पहचान का खुलासा नहीं करेगी।	बच्चे की पहचान को प्रकट करने वाले व्यक्ति को छह माह तक की सज़ा अथवा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 75	i. बच्चे के साथ क्रूरता – किसी भी व्यक्ति (जो बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण करता है) द्वारा यदि बच्चे पर प्रहार/हमला किया जाता है या उसका परित्याग किया जाता है या उसे उत्पीड़ित किया जाता है या उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है; अथवा कोई व्यक्ति बच्चे पर प्रहार/हमला करवाता है, उसका परित्याग करवाता है, उसका उत्पीड़न या दुर्व्यवहार करवाता है, जिससे बच्चे को शारीरिक या मानसिक कष्ट होने की संभावना है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा व्यक्ति दंडनीय होगा; परंतु उस स्थिति में, जबकि पता चले कि बालक का त्याग उसके जैविक माता-पिता की ओर से हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो जाने की वजह से किया गया है, तो यह अनुमान किया जाएगा कि वह त्याग इच्छापूर्वक नहीं है और इस धारा के दंडनीय प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होंगे।	इस तरह का अपराध करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा तथा 1 लाख रुपये के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यदि ऐसी हिंसा/क्रूरता किसी संस्था के व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसकी सुरक्षा एवं देखभाल के लिए उत्तरदायी है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा तथा 5 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। यदि क्रूरता के कारण कोई बालक शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है, या किसी मानसिक अथवा शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाता है, तो कठोर कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
धारा 76	कोई भी व्यक्ति, जो बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण रखता है तथा बच्चे से भीख मंगवाने के लिए उसे नियोजित करता है, या उसका उपयोग भीख मांगने के दुष्प्रेरण के लिए करता है या उसके भीख मांगने की परिस्थिति पैदा करता है।	उसे अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा तथा 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। यदि कोई बच्चे का अंग-भंग करता है, उसे अपंग बनाता है – तो वह कठोर कारावास, जिसकी अवधि 7 साल से कम नहीं होगी तथा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है एवं साथ ही 5 लाख के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

धारा 77	कोई भी व्यक्ति किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश के बिना सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को नशीली शराब/मादक औषधि या तंबाकू उत्पाद देता है या दिलवाता है	इस अपराध के लिए 7 वर्ष तक के कारावास की सज़ा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है
धारा 78	किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे से शराब/ड्रग्स/ तंबाकू की सप्लाई करवाना अथवा नशीली शराब या नशीले पदार्थ/मादक औषधि के विक्रय, फुटकर क्रय/विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने अथवा दुर्व्यापार में बच्चे का उपयोग करने पर	ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है
धारा 79	कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए बच्चे को अपने पास रखता है या बंधुआ रखता है या उसकी आय को रोकता या स्वयं के लिए उसका उपयोग करता है	ऐसा व्यक्ति अधिकतम 5 वर्ष तक के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है
धारा 80	यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों या प्रक्रियाओं का पालन किए बना किसी भी अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे को देता है या प्राप्त करता है	ऐसे व्यक्ति या संस्था को 3 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है
धारा 81	1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी उद्देश्य के लिए किसी बच्चे को बेचता है या खरीदता है 2) बशर्ते कि ऐसा कार्य बच्चे के वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रणकर्ता के द्वारा अथवा अस्पताल/नर्सिंग होम/ प्रसूति केंद्र के कर्मचारी द्वारा किया जाता है	1) ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 5 तक के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है 2) ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास, किन्तु जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जा सकता है

धारा 82	1) किसी बाल देखरेख संस्था में बच्चे का वास्तविक प्रभारी अथवा संस्था में कार्यरत कर्मचारी, जो बच्चे को अनुशासित करने के लिए जानबूझकर शारीरिक दंड देता है 2) यदि बाल देखरेख संस्था में नियोजित कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध का दोषी पाया जाता है 3) यदि बाल देखरेख संस्था (सी0सी0आई0) में किसी शारीरिक दंड की रिपोर्ट की जाती है और ऐसी संस्था का प्रबंधतंत्र किसी जांच में सहयोग नहीं करता है या किशोर न्याय समिति या बाल कल्याण समिति या न्यायालय या राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है	1) प्रथम अपराध पर – 10,000 रुपये का जुर्माना तथा इस प्रकार की घटना/अपराध की पुनरावृत्ति पर अधिकतम 3 माह की सज़ा या जुर्माना अथवा दोनों 2) ऐसे व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसके बाद बच्चों के साथ सीधे काम करने से भी वंचित कर दिया जाएगा 3) ऐसी संस्था के प्रबंधतंत्र का भारसाधक व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा
धारा 83	1) यदि कोई गैर-राजकीय, आतंकवादी समूह या संगठन, जिसकी पहचान केंद्र सरकार द्वारा की गई है, किसी भी उद्देश्य के लिए किसी बालक को भर्ती करता है या उसका उपयोग करता है 2) यदि किसी वयस्क व्यक्ति या वयस्क समूह द्वारा गैर-कानूनी कार्य के लिए स्वयं के स्तर पर अथवा समूह के रूप में बच्चों का उपयोग किया जाता है	1) अधिकतम 7 वर्ष की कठोर सज़ा तथा 5 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित 2) अधिकतम 7 वर्ष की कठोर सज़ा तथा 5 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित

संज्ञेय (गंभीर), गैर जमानती अपराध

1. ऐसे अपराध, जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सज़ा का प्रावधान है।

   - इन मामलों का विचारण बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) द्वारा किया जाएगा।

2. ऐसे अपराध, जिनमें 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।

   - इन मामलों का विचारण प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।

   - ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम की सज़ा का प्रावधान है या केवल जुर्माने का प्रावधान है। इन मामलों का विचारण किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।

जिनसे शिकायत की जा सकती है:

i. विशेष किशोर पुलिस इकाई के किसी भी अधिकारी से

ii. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या सदस्य से

iii. किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष या सदस्य से

iv. किशोर न्याय बोर्ड के बाद सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है

v. बाल कल्याण समिति के बाद जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है

टोल फ्री नंबर 1098 या 100

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स {एन0सी0पी0सी0आर0}) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन0सी0पी0सी0आर0) की स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट {सीपीसीआर}), 2005 संसद के एक अधिनियम (दिसंबर 2005) के तहत की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 के तहत एक सांविधिक (कानूनी) निकाय है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन०सी०पी०सी०आर०) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस०सी०पी०सी०आर०) को निम्न अधिनियमों के क्रियान्वयन आर निगरानी रखने के लिए नामित प्राधिकरण बनाया गया था:

1) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

2) लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

3) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

NOTES

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

मुख्य कार्यालय: ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
फोन: 011 475111111 | ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)